Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067
Volume-I, No. I, Feb.-2014, pp. 87-91

वर्तमान भारतीय परिवेश में महिला सशक्तिकरण : एक आवश्यकता

डॉ0 सीमा रानी,
ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा शिक्षा विभाग,
डी0ए0के0 कालिज मुरादाबाद (उ0प्र0) भारत।
श्री कमल सिंह शोधार्थी,
मेवाड विश्वविद्यालय गंगरार, चित्तौडगढ़ (राजस्थान)

वैदिक काल में पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल के अन्तिम चरण में लगभग 200 ई0पू0 से स्त्री–शिक्षा की अवनति आरम्भ हो गई थी। बौद्ध धर्म ने सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। मुस्लिम काल में सामान्य रूप से स्त्रियों की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्त्री–शिक्षा का पूर्ण अभाव था। वुड आदेश–पत्र ने भारतीय शिक्षा को सरकार के अधीन करके उसे जंजीरों से जकड़ दिया, उस पर विदेशी ढाँचे को थोपकर प्राचीन शिक्षा पद्धतियों का नामोनिशान मिटा दिया और धर्म को शिक्षा से सदैव के लिए विदा करके, शिक्षा के प्राचीन आदर्श की बुनियाद को हिला दिया। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन भी प्रारम्भ किया गया। वनस्थली की शिक्षा भारतीय नारी–जीवन के पुनर्निर्माण की एक पूर्ण तथा सराहनीय योजना है। केवल महिलाएँ ही नारियों में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकती हैं। महिला का अर्थ है महान एवं शक्तिशाली।

वैदिक काल में पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और वे पुरूषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। प्राचीन काल में अनेक विदुशी स्त्रियाँ थीं, यथा– घोशा, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, विश्ववरा, शकुन्तला और अनुसुईया। बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य–रचना, वाद–विवाद आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। उनको शिक्षा अधिकतर अपने परिवारों में अपनी माता, भाई, बहिन, या कुल–पुरोहित के द्वारा दी जाती थी। यद्यपि बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी, तथापि सह–शिक्षा का कुछ सीमा तक प्रचलन था। उदाहरणार्थ, आत्रेयी ने लव और कुश के साथ वाल्मीकी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। बालिकाओं और स्त्रियों को 200 ई0 पू0 तक शिक्षा की सभी सुविधायें प्राप्त थी, पर उसके बाद उनकी शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, जिससे उनकी शिक्षा अवरूद्ध हो गई। इस सम्बन्ध में डॉ0 ए0 एस0 अल्तेकर के अग्रांकित शब्द उल्लेखनीय है– ''धर्मशास्त्र युग (200 ई0पू0–500 ई0पू0) में बालिकाओं के लिए विवाह की आयु को कम करके 12 वर्ष तक कर दिया गया और स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन को निषेध कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा को प्रबल आघात पहुँचा।''

वैदिक काल के अन्तिम चरण में लगभग 200 ई0पू0 से स्त्री–शिक्षा की अवनति आरम्भ हो गई थी। महात्मा बुद्ध के कारण इस शिक्षा को नवजीवन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य, आनन्द की प्रार्थना स्वीकार करके, स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। इसके फलस्वरूप स्त्री–शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ स्त्रियों ने संघ में प्रवेश करके उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की और कुछ क्षेत्रों में पुरूषों से

प्रतिद्वन्दिता करके उनसे समानता रखने का प्रमाण दिया। किन्तु यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि स्त्री–शिक्षा की सामान्य रूप से प्रगति हुई है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि बौद्ध धर्म ने कुलीन और व्यवसायी स्त्रियों की शिक्षा को जिनकी संख्या प्रायः नगण्य थी, प्रोत्साहन दिया, पर सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। डॉ0 ए0एस0 अल्तेकर का अग्रांकित वाक्य में अमर सत्य है– ''स्त्री–शिक्षा को बौद्ध धर्म से किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त न हो सकी।''

पर्दा प्रथा के कारण केवल छोटी आयु की बालिकाएँ मकतबों में जाकर बालकों के साथ विद्या का अर्जन करती थीं, पर उन्हें कुछ ही समय के बाद यह कार्य स्थगित करना पड़ता था। उनको उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि राज्य या समाज की ओर से उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। फलस्वरूप निम्न और निर्धन वर्गो की बालिकाएँ या तो ज्ञान प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाती थी या उनका ज्ञान अत्यन्त अल्प पढ़ने और लिखने तक सीमित रह जाता था।

मालवा के शासक गियासुद्दीन तुगलक जिसने सन् 1469 से 1500 तक शासन किया, सारंगपुर में सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए, एक मदरसे की स्थापना की। फरिश्ता के अनुसार – ''इस मदरसे में बालिकाओं को नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई, बढ़ईगिरि, सुनारगिरि, लुहारगिरि, जूते बनाने, मखमल बनाने, युद्धकला, रणक्षेत्र कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। उनकी शिक्षा का भार उनके अभिभावकों को वहन करना पड़ता था। अतः केवल धन सम्पन्न व्यक्ति ही अपनी बालिकाओं को इस विद्यालय में अध्ययन के लिए भेज पाते थे।''

राजघरानों और कुलीन परिवारों की बालिकाओं और स्त्रियों को उनके निवास स्थान पर ही व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती थी। उनको धर्म एवं साहित्य के अतिरिक्त, नृत्य, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। किन्तु इनकी तुलना में उन सामान्य स्त्रियों की संख्या अधिक थी, जो अशिक्षित थी। वस्तुस्थिति यह थी कि जब राजघारानों और कुलीन परिवारों की स्त्रियों में शिक्षा का प्रचलन था, सामान्य स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। अतः वे शिक्षा से रंचमात्र भी लाभान्वित नहीं हुई। इस प्रकार हम कह सकते है कि मुस्लिम काल में सामान्य रूप से स्त्रियों की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई। इसका परिणाम बताते हुए टी0एन0 सिक्वेरा ने लिखा है–''स्त्रियों की शिक्षा पढ़ने और लिखने के न्यूनतम तत्वों की संकुचित स्थिति में पहुँच गई थी।''

31 दिसम्बर सन् 1600 से लेकर लगभग 150 वर्ष तक कम्पनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। सन् 1757 में प्लासी की विजय और सन् 1765 में शाह आलम से बंगाल, बिहार, और उडीसा की ''दीवानी'' प्राप्त करने के पश्चात इस देश के पर्याप्त भू–भाग के शासन की बागडोर कम्पनी के हाथ में आ गई और उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण किया। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव था। कुछ समय पश्चात स्त्री–शिक्षा का प्रचार केवल कुछ उदार विचार वाले और धनी हिन्दू परिवारों में था। मुसलमानों में स्त्री शिक्षा को अशुभ समझा जाता था।

एडम बेप्टिस्ट मिशन का मान्य सदस्य तथा सच्चा जनसेवक था। भारतीयों के नैतिक एवं सामाजिक पतन को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया था। वह अन्तःकरण से शिक्षा प्रसार द्वारा उनका मानसिक विकास तथा चारित्रिक उत्थान चाहता था। एडम को विश्वास था कि उसकी योजना को राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारभूत योजना बनाया जा सकता था। उसकी इच्छा थी कि सरकार इस योजना पर क्रियात्मक पग उठाये। परन्तु मैकाले ने उसकी सब आशाओं पर पानी फेर दिया। उसने इस योजना के विरूद्ध अति दूशित रिपोर्ट भेजी। परिणामतः जब वह आंकलैण्ड के समक्ष रखी गयी, तो उसने इसे अस्वीकृत कर दिया।

वुड आदेश–पत्र, 1854 में यह सिफारिश की गई कि स्त्री–शिक्षा को उदारतापूर्वक सहायता–अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाये। ''आदेश–पत्र'' में उन व्यक्तियों की सराहना की गई, जिन्होंने स्त्री–शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था। परन्तु सन् 1854 के ''आदेश–पत्र'' ने सार्वभौमिक शिक्षा के सम्बन्ध में मौन धारण करके, भारतीय जनता को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा। इसके अतिरिक्त ''आदेश–पत्र'' ने भारतीय शिक्षा को सरकार के अधीन करके उसे जंजीरों से जकड़ दिया, उस पर विदेशी ढॉचे को थोपकर प्राचीन शिक्षा पद्धतियों का नामोनिशान मिटा दिया और धर्म को शिक्षा से सदैव के लिए विदा करके, शिक्षा के प्राचीन आदर्श की बुनियाद को हिला दिया।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन भी प्रारम्भ किया गया। देश के नेताओं ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली से असन्तुष्ट होकर राष्ट्रीय–शिक्षा की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ किया। इन्हीं विद्यालयों में वनस्थली विद्यापीठ का स्थान है। पं0 हीरा लाल शास्त्री की एक पुत्री थी जिसका नाम शान्तिबाई था। 1934 में जब शान्ताबाई बारह वर्ष की थी तब एक दिन उसने यह इच्छा प्रकट की कि वह बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय स्थापित करेगी। दुर्भाग्यवश 1935 में अकस्मात ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। अपनी एक मात्र पुत्री की अभिलाषा को पूर्ण करने के उद्देश्य से पं0 हीरा लाल शास्त्री ने अक्टूबर 1935 में 'जीवन कुटीर' में एक 'शिक्षा–कुटीर' को जन्म दिया। 1936 में इस शिक्षा कुटीर का नाम 'राजस्थान बालिका–विद्यालय' रखा गया और 1942 से वह 'वनस्थली विद्यापीठ' के नाम से विख्यात हुआ। 1983 ई0 में इस विद्यापीठ को विश्वविद्यालय स्तर प्राप्त हो गया। 1935 में इस विद्यालय का शिक्षण कार्य मात्र 6 बालिकाओं से प्रारम्भ किया गया था। आज इसमें लगभग तीन लाख छात्राएँ है। वे देश के विभिन्न भागों, वर्गों तथा जातियों की हैं। प्रारम्भ में विद्यालय के सभी भवन कच्चे थे परन्तु आज वहाँ सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 'बालिका विद्यापीठ' बालिका शिक्षा का अखिल भारतीय केन्द्र है। इसमें शिशु कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर सहित अनेक अन्य पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। वनस्थली विद्यापीठ की एक अनुपम विशेषता है, उसकी पंचमुखी शिक्षा। यह बालिकाओं का सर्वतोन्मुखी विकास करने के लिए एक अनोखी शिक्षा योजना है। इस योजना के अनुसार उनको निम्नलिखित प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन किया गया है –

1. शारीरिक शिक्षा, 2. बौद्धिक शिक्षा, 3. प्रायोगिक शिक्षा, 4. कला की शिक्षा, 5. नैतिक शिक्षा । इसमें बालिकाओं को पाश्चात्य विषयों की शिक्षा भारतीय आदर्श के अनुसार दी जाती है। भारतीय परम्पराओं तथा भारतीय संस्कृति से अवगत कराके उन्हें स्त्रियों के उच्च दायित्वों तथा कर्तव्यों की भावना से सराबोर कर दिया जाता है। सारांश में वनस्थली की शिक्षा भारतीय नारी–जीवन के पुननिर्माण की एक पूर्ण तथा सराहनीय योजना है।

केवल महिलाएँ ही नारियों में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकती है। महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से नारी शक्ति को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किये। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी व्यक्तिगत शक्ति का प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में लोग राजनीति के क्षेत्र में अहिल्याबाई होल्कर का नाम हमेशा याद रखेगें। झांसी की महारानी का नाम पराक्रम के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गये है; लेकिन अब आने वाला समय मुख्य रूप से महिलाओं का युग होगा। सम्पूर्ण समाज आशा कर रहा है कि नारी की आध्यात्मिक शक्ति अवश्य ही जाग्रत होगी। संसार की कोई भी समस्या एकता के अभाव में हल नहीं की जा सकती है; एकता के बिना शान्ति को कभी स्थापित नहीं किया जा सकता है इसलिए सम्पूर्ण विश्व एक होगा। हमने तो प्राचीन काल से ही 'वुसधैव कुटुम्बकम्' का भाव रखा। आज संसार एक होने के लिए तैयार है। अब यदि ऐसा हो रहा है, तब आगामी समय अहिंसा का युग होगा। अहिंसा के युग में नारी शक्ति ही

सर्वश्रेष्ठ होगी। यद्यपि आत्मा के दृष्टिकोण से पुरूष और स्त्री के मध्य कोई भेद नहीं होता है। फिर भी अहिंसा की शक्ति महिला की अपेक्षा पुरूष में कम होती है। कुछ पुरूष पूर्ण अहिंसावादी होते होंगे। लेकिन दया एवं क्षमा के गुण मुख्य रूप से सशक्त महिलाओ में ही पाये जाते है। महिला का अर्थ है महान एवं शक्तिशाली। यह एक महान शब्द हैं। यह शब्द दर्शाता है कि भारत का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण है।

स्वतंत्र भारत की नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बन्धनों मे वह बंधी हुई थी वे धीरे–धीरे ढ़ीले होते जा रहे हैं। जिस स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया गया था वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है। उसके सम्बन्ध में पुरूषों का दृष्टिकोण बदल रहा है। भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया– ''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।''

सन् 1983 में बना अपराधिक दण्ड संहिता अधिनियम तथा महिला का अश्लील प्रस्तुतीकरण विरोध कानून 1986 का प्रचार–प्रसार तेज करना चाहिए। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि जितना विशाल यह कार्य है उसके लिए यही पर्याप्त नहीं है कि इस क्षेत्र में केवल सरकारी मशीनें ही कार्य करें, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि स्वयंसेवी संस्थाएँ आगे आयें और स्त्रियों को उन कानूनों के प्रावधानों से अवगत कराये जिनके लाभ उन्हें मिल सकते हैं। बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित उपाय सुझाये गये –

- बालिकाओं की शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण करना।
- औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए सुविधा बढ़ाना।
- वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जाये जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके।
- आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक पाठयक्रम तैयार करना।
- निरन्तर स्त्रियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करके निरक्षरता दूर करने के उपाय किये जाये जिससे स्वयंसेवी संगठन, सम्पूर्ण मानव शक्ति का सहयोग लिया जाये।

आचार्य विनोबा भावे महिला शक्ति मे महान विश्वास रखते थे। वह महिला और पुरूष के मध्य किसी भी विभेद के विरूद्ध थे। आज विज्ञान के इस युग में महिला को घर की चार दीवारों में बन्द करके रखना अन्यायपूर्ण है। हमें अधिक से अधिक नारियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए 'ब्रह्मविद्या' से जोड़ना चाहिए। अपने पड़ौसी को प्रेम करना प्रयोगात्मक धर्म है। मानव को विकास करने और जीवन में सुख की अनुभूति करने के लिए यह आवश्यक है। जीसस ने कहा ''जैसा तुम स्वयं से प्रेम करते हो वैसा ही अपने पड़ौसी से भी करो।'' वह तब तक संभव नहीं है जब तक हम ब्रह्मविद्या को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। भारत में यदि कोई कहता है कि ''अपने पड़ौसी को प्रेम करो'' वह तुरन्त ही इसका कारण पूछेगा। हमें प्रेम करना चाहिए– यह समझना सरल है लेकिन यह प्रेम कैसे बढ़ाना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए प्रश्न यह उठेंगा क्योंकि यह देश ब्रह्मविद्या की भूमि है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह विलुप्त हो रही है। जबकि हम अपने दर्शन को खोजने पर पायेंगे कि यह कभी न समाप्त होने वाले प्रवाह के रूप में होगी। यह एक उच्च विचार है, इसलिए सम्पूर्ण विश्व के अच्छे व्यक्ति अवश्य ही इससे प्रेरणा लेंगे। लेकिन यह इसका पूर्ण पाठ्यक्रम नहीं होगा। मैने ब्रह्मविद्या मन्दिर के लिए निश्चय किया। भक्ति, शक्ति से अधिक महान है। मेरे पास पूर्ण शक्ति नहीं है, किन्तु इस विचार के लिए निश्चय ही मेरे पास पूर्ण भक्ति है। अब इस भक्ति पर बल देते हुए ब्रह्मविद्या मन्दिर की खोज की गई है।

एक ब्रह्मचारी को यह अनुभव नहीं करना चाहिए कि वह एक महिला को नहीं देख सकता है। इसके संदर्भ में मेरे मस्तिष्क में रामायण की एक कथा आती है। रामचन्द्र जी

ने लक्ष्मण को सीता के आभूषण दिखाये और उनसे पूछा कि वह उनको पहचानते हैं। जब रावण सीता को ले जा रहा था, उन्होंने अपने आभूषण नीचे गिरा दिये थे ताकि रामचन्द्र जी पहचान सकें, कि उन्हें किधर ले जाया गया है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया– ''मैं भुजाओं और मुख के आभूषणों को नहीं पहचान सकता, मैं तो केवल पैरों के आभूषणों को ही पहचान सकता हूँ क्योंकि मैने उनको प्रतिदिन देखा जब मैं उनके चरणों की पूजा करता था।'' रामचन्द्र जी ने स्वयं लक्ष्मण से कहा कि वह स्वयं सीता के आभूषणों को नहीं पहचान सकते, यद्यपि वह उनके पति थे। ''इसका अर्थ है कि सीता और राम दोनों ही अछूते (ब्रह्मचारी) थे। किसी ने भी एक दूसरे को गृहस्थी के रूप में नहीं देखा लेकिन वे एक दूसरे को ब्रह्म के रूप मे देखते हुए वर्षो साथ–साथ रहे।

आज वर्तमान भारतीय परिवेश में देश और समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए वैदिक युग के समान ही नारियों को अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसा शोधार्थी का विश्वास है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. टंडन, विश्वनाथ (1992) 'आचार्य विनोबा भावे' बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इण्डिया, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणासी।
2. त्यागी, मुरसरनदास (2005) 'भारतीय शिक्षा का परिदृश्य' डॉ0 रागेय संघव मार्ग, आगरा–2 ।
3. तरण, डॉ0 हरिवंश (2008) 'विश्व के महान शिक्षाशास्त्री' प्रकाशन संस्थान, 4715/21, दयानन्द मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 ।
4. देवी, कलावती (1982) थॉट्स ऑफ सम इंडियन थिंकर्स ड्यूरिंग दि पोस्ट–रिनेसेन्स पीरियड, पी0एच0डी0 एजूकेशन, अवध यूनिवर्सिटी।
5. पाण्डेय, डॉ0 रामशकल (2008) 'उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, निर्भय नगर, गैलाना रोड, आगरा–7 ।
6. भारतीय संविधान की धारा 15 के अनुसार।
7. भावे आचार्य विनोबा (2010) 'वूमेन्स पॉवर' सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजधाट, वाराणसी–221001 ।